भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड,
भोपालपानी, देहरादून।

संख्याः 4192/उ0ख0/भू0खनि0नि0/समि0/2023–24, दिनांक 07 नवम्बर, 2023

कार्यालय आदेश

निदेशालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या 3278/भू0खनि0नि0/ई0नीला0/2023–24, दिनांक 26 सितम्बर, 2023 के द्वारा जनपद व तहसील चम्पावत के ग्राम दियूरी–3, कुल क्षेत्रफल 7.37 है0 उपखनिज क्षेत्र को उपखनिज परिहार नियमावली, 2023 के नियम 20(2) के प्राविधानानुसार 05 है0 से अधिक क्षेत्रफल के उपखनिज लॉटों को भारत के नागरिक/नागरिकों की समितियों/फर्म/कम्पनियों को 10 वर्ष की अवधि हेतु एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या 3279/भू0खनि0नि0/ई0नीला0/2023–24, दिनांक 26 सितम्बर, 2023 के द्वारा जनपद नैनीताल के 12 लॉट, जनपद देहरादून के 17 लॉट, जनपद हरिद्वार के 09 लॉट, जनपद उधमसिंहनगर के 08 लॉट, कुल 46 चिन्हित रिक्त उपखनिज लॉटों को उक्त नियमावली के नियम 20(2) के प्राविधानानुसार राज्य के मूल निवासी/निवासियों की समितियों/फर्म/कम्पनियों को 05 वष की अवधि हेतु ई–निविदा सह ई–नीलामी के माध्यम से खनिज परिहार पर स्वीकृत किये जाने हेतु ई–निविदा आमंत्रित की गयी, जिसकी तकनीकी निविदा दिनांक 19.10.2023 को अपरान्ह् 12.00 बजे खोली जानी निर्धारित थी।

उक्त के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित जनहित याचिका संख्या 176/पी0आई0एल0/2023 तरूण शर्मा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा दिनांक 18.10.2023 को आदेश पारित किया गया कि "5. We direct the petitioner to implead the State Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), and State Pollution Control Board, as party respondents. 6. Steps be taken within a week. 7. Notice shall be issued to SEIAA and State Pollution Control Board, returnable on 27.12.2023, by all permitted modes, including electronically. 8. List the matter on 27.12.2023. 9. In the meantime, we direct that,in case, the environment impact assessment and clearance has not been granted, the tender process shall not be proceeded in pursuance to the auction noticedated 26.09.2023". उक्त के क्रम में कार्यालय आदेश संख्या 3766/भू0खनि0नि0/ई0नीला0/2023–24, दिनांक 19 अक्टूबर, 2023 के द्वारा कार्यालय ज्ञाप संख्या 3278/भू0खनि0 नि0/ई0नीला0/2023–24, दिनांक 26 सितम्बर, 2023 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या 3279/भू0खनि0नि0/ई0नीला0 /2023–24, दिनांक 26 सितम्बर, 2023 के द्वारा आमंत्रित निविदा खोले जाने की कार्यवाही तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक स्थगित की गयी।

मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल के पत्र दिनांक 07.11.2023 के द्वारा अवगत कराया गया है कि जनहित याचिका संख्या 176/पी0आई0एल0/2023 तरूण शर्मा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य आज दिनांक 07.11.2023 को सुनवाई हेतु सूचीबद्ध थी, जिसमें मा0 न्यायालय, नैनीताल द्वारा आदेश पारित किया गया है कि "The Hon'ble Court, after hearing the Counsel for the parties at length has been pleased to dismiss the aforementionrd Writ Petition (PIL) wth the direction that the mining activity shall be carried only after obtaining the environmental clearance for the appropriate authority".

अतः उपरोक्तानुसार मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल के पत्र दिनांक 07.11.2023 के अनुसार मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित जनहित याचिका संख्या 176/ पी0आई0एल0/2023 तरूण शर्मा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में मा0 उच्च न्यायाल, उत्तराखण्ड, नैनीताल के द्वारा दिनांक 07.11.2023 को सुनवाई के उपरान्त उक्त जनहित याचिका को निरस्त (Dismissed) कर दिये जाने के फलस्वरूप कार्यालय आदेश संख्या 3766/भू0खनि0नि0/ई0नीला0/2023–24, दिनांक 19 अक्टूबर, 2023 के द्वारा कार्यालय ज्ञाप संख्या 3278/भू0खनि0 नि0/ई0नीला0 /2023–24, दिनांक 26 सितम्बर, 2023 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या 3279/ भू0खनि0नि0/ई0नीला0 /2023–24, दिनांक 26 सितम्बर, 2023 के द्वारा आमंत्रित निविदा खोले जाने की कार्यवाही पर लगायी गयी रोक को तत्काल प्रभाव से हटाते हुए उक्त निविदाओं की तकनीकी निविदा दिनांक 08.11.2023 समय अपराह्न 2.30 बजे खोले जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

7/11/23
(एस0एल0 पैट्रिक)
निदेशक

संख्याः 4192/उ0ख0/भू0खनि0नि0/समि0/2023–24, तददिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
2. सचिव, खनन, उत्तराखण्ड़ शासन देहरादून।

7/11/2023
(एस0एल0 पैट्रिक)
निदेशक